11/12/24

पत्रावली पास्ते बहस हेतु पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है। दिनांक 12.11.2024 को जारी टी. आर्डर निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2024/707

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:43 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकांमे

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

रवि चौधरी आदि बनाम आत्माराम वगैरा

किस्म मुकदमाः– 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्याः– 310/2024 (GCMS No. 2024/707)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.12.2024	(see below)	

11.12.2024

पत्रावली वास्ते बहस अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 4 बी.जे.डब्लयू.–II के खाता नं. 27 में कुल 24.294 हेक्टर कमाण्ड/अ0क0 मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण का 2/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1–2 का 2/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3–4 का 2/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 क 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण का घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अंकित रकबा कुल 6.073 हैक्टर क0/अ0क0 भूमि पर कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 संयुक्त खाता का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 6 से मिलीभगती कर वादीगण के घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा के पत्थर संख्या 32/21 के किला नं. 22 ता 24 व पत्थर नं. 32/22 के किला नं. 2 ता 3 में से जबरदस्ती खाला की आड़ निकाल रहे है। यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के काबिज काश्त भूमि में जबरदस्ती खाला की आड़ निकालकर घूस गये तो प्रार्थीगण का ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये पूर्व में दिनांक 12.11.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे।

अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से वकील श्री राकेश सारस्वत एवं श्री सुभाष बिश्नोई ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि जैरवाद रकबा में अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा पत्थर नं. 32/23 कि0न0 2–9 की 0.506 हैक्टर, पत्थर नं. 32/22 कि0न0 1–2–9 ता 12,19,20 की 2.024 हैक्टर, 22/2 की 0.228 हैक्टर, 23/2 की 0.228 हैक्टर, 24/2की 0.050 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर भूमि पर कब्जा है। शेष भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 का कब्जा है। जिसे कड़ी मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी द्वारा खाता विभाजन का दावा अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जा काश्त की भूमि को अपनी दर्शा कर पेश किया है एवं विशिष्ट किलेजात पर स्थगन प्राप्त किया है। चक 4 बीजेडब्लयू–II पत्थर नं. 32/22 के किला नं. 5 में स्वीकृत नाका है। जिसमें से सिंचाई विभाग द्वारा पत्थर नं. 32/22 कि0न0 1,2,9 ता 12,19 ता 22 में आड़ स्वीकृत है। जिसमें जैरवाद रकबा में सिंचाई होती है। प्रार्थी द्वारा उक्त आड़ नष्ट कर दी गई है। आड़ व्यवस्था बहाल ना हो इसलिये प्रार्थी द्वारा न्यायालय को धोखा देकर स्थगन प्राप्त कर लिया। प्रत्येक काश्तकार को कृषि हेतु सिंचाई सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। सिंचाई विभाग से संबंधित मामलों पर सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है एवं संयुक्त खाता में सहकाश्तकार के विरूद्ध स्थगन जारी नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावें तथा दिनांक 12.11.2024 को जारी टी0आई0 निरस्त किया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 4 बी.जे.डब्लयू.–II के खाता नं. 27 में कुल 24.294 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक काश्तकार का हक व हिस्सा माना जाता है। प्रार्थीगण ने घरू बंटवारा का भी कोई लिखित दस्तावेज पेश नही किया है। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा सिंचाई हेतु बनाई गई आड़ दी गई है। दिनांक 26.11.2024 को [illegible] निकालने की सहमति भी दी गई है। सिंचाई नियमानुसार कमाण्ड भूमि [illegible] ने हेतु पुनः आड़ दी जानी आवश्यक बताया है। अतः [illegible] तथा संयुक्त खाता का रकबा होने से निरस्त [illegible]

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार [illegible] किया जाता है तथा दिनांक 12.11.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] रस्त की जाती है। जैरवाद रकबा में सिंचाई नियमानुसार आड़ निकालने हेतु सिंचाई विभाग स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.16 10:34:43 IST
Reason: SelfAttested